दिनांक 27.07.2017 को अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड कपकोट (DEAC) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विषेशज्ञ आंकन समिति आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1–श्री रवि सिंह नेगी, सहा0भू–वैज्ञानिक,/खान अधिकारी बागेश्वर–सदस्य सचिव
2–श्री बलवंत सिंह शाही ,वन विभाग,बागेश्वर –सदस्य।
3–श्री नारायण दत्त पाण्डे,वन विभाग–सदस्य।
4–श्री भुवन चन्द्र जोशी,सहायक अभियंता,लोक निर्माण विभाग–सदस्य ।
5–श्री सत्यप्रकाश कोटियाल,अभियंता,जिला पंचायत ,बागेश्वर।
6–श्री महेन्द्र सिंह,सहायक अभियंता,सिंचाई विभाग,बागेश्वर।
7–श्री चन्दन सिंह बनकोटी प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय, बागेश्वर।
8–श्रीमती ऋतु आर्य,प्रधान सहायक ,वन जिला कार्यालय,बागेश्वर।

कार्यवृत्त

आज दिनांक 27 जुलाई 2017 को जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति, (DEAC) की बैठक में जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर द्वारा दिनांक 12.07.2017 को सम्पन्न DEIAA की बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी, जिसका कार्यवृत्त बिन्दुवार निम्नवत् है –

बिन्दु स0 A and B, उक्त के कम में DEAC समिति की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से उक्त बिन्दुओ पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मानचित्रों को आवेदित खनन योजना के ई0सी0 हेतु प्रस्तुत किये गये ई0एम0पी0 को तैयार/बनाने एंव प्रस्तुत करने वाले आर0क्यू0पी0 द्वारा ही राजस्व मानचित्र युक्त क्लस्टर मानचित्र तैयार कर अपने ई0एम0पी0 के साथ प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये जायेगे, तदोपरान्त् ही DEAC ,जो कि किसी आवेदित खनिज क्षेत्र हेतु आवेदक के आर0क्यू0पी0 द्वारा प्रस्तुत की गयी पर्यावरर्णीय आख्या (ई0एम0पी0) पर विचार विमर्श करने के उपरान्त अपनी आख्या उच्चस्तरीय DEIAA को पर्यावरर्णीय अनुमति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पर निर्णय एंव अन्य सुझावों हेतु प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु स0 C, उक्त के कम में DEAC समिति द्वारा विचार –विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि तिथि निर्धारित कर मौजूदा एंव आवेदित खनन क्षेत्रों का क्षेत्रीय भ्रमण कर लिया जायेगा,जिसकी सूचना DEIAA को भी दी जानी होगी।

बिन्दु स0 D, उक्त के कम में DEAC समिति का यह कहना है कि उक्त आवेदित खनन योजनाओं के माइनिंग प्लान को इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स एंव भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई में रजिस्टर्ड क्वालिफाइड आर0क्यू0पी0 द्वारा बनाया जाता है,जिसमें अधिकतम उत्पादन की क्षमता को क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिगत् प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है जहां तक माईन प्लान को उच्चाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये जाने के

..2..

उपरान्त ही ई0सी0 प्राप्त किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में आवेदित खनन योजनाओ के अधिकतम खनिज मात्रा का आंकलन पूर्ववत् माइन प्लान में ही अनुमोदित होने की स्थिति में पृथक से आंकलित किया जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बिन्दु स0 **E,** उक्त के कम में DEAC समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मौजूदरा एंव आवेदित खनन क्षेत्रों में पूर्व में एन0जी0टी0 द्वारा जैव विविधता से जुडे किसी भी बिन्दु पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है, अपितु एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य रूप से खनन क्षेत्रों में सतही जल की स्वच्छता/नालों/गाड्–गधेरो की स्वछता तथा बरसाती नालों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ वायु प्रदूषण एंव ध्वनि प्रदूषण से जुडे मुद्दों पर प्रश्न उठाय गये है। इस प्रकार उक्त के कम में DEAC द्वारा आवेदित खनन क्षेत्रों में एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में पर्यावरण से जुडें जल एंव वायु प्रदूषण एंव खनन कार्मिकों के स्वास्थ्य से जुडें आवश्यक शर्तो को पूर्ण रूप से लागू कराये जाने के लिये प्रस्तुत किये जा रहे ई0एम0पी0 में समाहित कराया जायेगा ,तदोपरान्त् उक्त महत्वपूर्ण शर्तो के आधार पर ही उक्त खनन योजनाओ की ई0सी0 (पर्यावरणीय प्रमाण पत्र) दिये जाने के उपरान्त सभी कमप्लाइन्स की DEAC मैम्बर्स के द्वारा समय–समय उक्त खनन क्षेत्रों के निरीक्षण/भ्रमण कर जॉच की जायेगी।

बिन्दु स0 **F,** उक्त के कम में DEAC समिति के मैम्बर सेकट्री द्वारा अपने विभाग (भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, भोपालपानी, देहरादून) में उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श किये जाने के उपरान्त होने वाली अग्रेत्तर कार्यवाही से DEIAA को अवगत कराया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये आगामी बैठक आयोजित किये जाने तक पृथक से तिथि निर्धारित करने हेतु सभी सदस्यों को सूचना दिये जाने के निर्देश देते हुये बैठक का समापन कर दिया गया।

अनुमोदित,

31/7/17
अध्यक्ष,
जि0 स्त0 वि0 आं0 स0, (DEAC)

कार्यालय जिला विशेषज्ञ आंक्कलन समिति,बागेश्वर।
संख्या 260/डी0ई0ए0सी0/बै0का0/2016–17 दिनांक 01/8/2017
प्रतिलिपि सदस्यगणों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।:–

31/07/17
सचिव
जि0 स्त0 वि0 आं0 स0, (DEAC)